have been identified for export development from M.P. :

First Category

— Soyabean extraction/meal
— Handicrafts
— Carpets
— Handlooms
— Engineering goods, such as steel fabricated items, casting and forgings, power distribution and generation equipment & components and automobile ancillaries
— Drugs & pharmaceuticals

Second Category

— Electronics
— Leather and leather manufactures
— Tendu leaves
— Shellac
— Myrobalancs
— Granite

(c) and (d) The Ministry of Commerce helps State Governments in promotion of exports by preparing Action Plans, organising seminars, workshops, etc. The Trade Development Authority (now India Trade Promotion Organisation) is in touch with the M.P Export Corporation Ltd., Bhopal and has assisted in their export efforts. The Ministry of Commerce has also made a number of suggestions to the State Governments so that the latter could undertake active export promotion.

कृषि के विकास के लिए डंकेल प्रस्ताव

@@493. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के विकास के मूलाधार जैसे बीज, कीटनाशक, पौध इत्यादि के संबंध में डंकेल प्रस्ताव भारतीय स्थितियों के अनुकूल पाए गए हैं, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या डंकेल प्रस्तावों से देश में कृषि के विकास का आधार मजबूत होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) महानिदेशक, गाट के सुलह प्रस्ताव के अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3(ख) में प्रावधान है कि पार्टियां निम्नलिखित मदों को एकस्वात्मकता से अलग कर सकेंगी :

"सूक्ष्म जीवों को छोड़कर पौधों तथा पशु और गैर-जैविकीय तथा सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रियाओं को छोड़कर पौधों तथा पशुओं के उत्पादन के लिए अन्य आवश्यक जैविकीय प्रक्रियाएं । किन्तु सदस्य पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए या तो पैटेन्ट्स के द्वारा या एक कारगर विशिष्ट व्यवस्था के द्वारा या उनके किसी प्रकार के संयोजन के द्वारा प्रावधान करेंगे । इस विशेष अनुच्छेद के प्रावधानों की समीक्षा इस समझौते के लागू होने के चार वर्ष के बाद की जाएगी ।"

"कारगर विशिष्ट व्यवस्था" के विकल्प के संबंध में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं किया गया है और न ही पौधों की किस्मों के संरक्षण के संबंध में किसी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कोई संदर्भ ही दिया गया है ।

इस प्रकार प्रत्येक देश के लिए कुछ लोचशीलता प्रदान की गई है जिससे कि वह अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पौधों की किस्मों के संरक्षण संबंधी कानून बना सके ।

रसायनों का उत्पाद-पैटेन्टों से बाहर रखने के बारे में महानिदेशक गाट के प्रस्ताव में कोई प्रावधान नहीं है । इस क्षेत्र में उत्पाद पैटेन्ट प्रदान करने से पेटेन्ट की अवधि में पेटेन्ट वाले कीटनाशी की कीमत में वृद्धि हो सकती है ।

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न संख्या 263, 10 जुलाई, 1992 से स्थानान्तरित ।